न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा— 46(1) बी के तहत आर. एम. वाद संख्या—एम०—92/2021—22 रूपन देवी बनाम पंचमी देवी

तारीख	आदेश			
1	2			
	विकेता का नाम एवं पता— रूपन देवी पति—स्व० ब्रजमोहन महतो ग्राम—सेरेंगडीह,पो०—चोकाहातु, थाना—सोनाहातु, जिला—राँची, जाति—कुरमी, पेशा—खेती ।			
	केता का नाम एवं पता:— पंचमी देवी, पति—हरिश चन्द्र महतो ग्राम—तिलाईपीड़ी, पोo—पाण्डाडीह, थाना—सोनाहातु, जिला—राँची (झारखण्ड) जाति—कुरमी,पेशा—खेती।			
	विद्वान अधिवक्ता का नाम:— श्री दुर्योधन महतो विकेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 08/12/2021 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा—46 (1) बी के तहत केता पंचमी देवी, पति—हिरश चन्द्र महतो ग्राम—तिलाईपीड़ी, पो०—पाण्डाडीह, थाना—सोनाहातु, जिला—राँची (झारखण्ड) जाति—कुरमी,पेशा—खेती के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिकी हेतु अनुमित माँगी है:— जमीन की विवरणी			

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा	
कोंकाडीह	सोनाहातु / 04	161	34	26 डी०	
			35	19 डी० चौहद्दी— उ०—शिवराम महतो द०—पचा महतो पू०—चन्द्र मोहन मह प—श्रीपदो महतो	तो

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी सोनाहातु का पत्रांक—1015(।।) दिनांक 24/12/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत है:--

- 1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत धरमा महतो वगैरह के नाम से दर्ज है।
- 2. खतियानी रैयत / पंजी- ।। रैयत के संबंध पति-पत्नी का है।
- 3. पंजी- ।। के अनुसार रैयत का नाम ब्रजमोहन महतो है।
- 4. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2018-2019 तक वसूली की गई है।
- 5. खरीदगी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
- 6. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किरम है।
- 7. प्रस्तावित जमीन बिकी करने के पश्चात विकेता के पास रकवा—4.20 एकड़ जमीन शेष रह जायगा।
- 8. विकेता प्रस्तावित जमीन को लोन चुकाने हेतु बिकी कर रहे है।



9. केता एवं विकेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य है एवं दोनों जिला-राँची के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत विकेता रूपन देवी पति-स्व० ब्रजमोहन महतो, ग्राम—सेरेंगडीह, पो०—चोकाहातु ,थाना—सोनाहातु, जिला—राँची, जाति—कुरमी, पेशा—खेती को केता पंचमी देवी, पति—हरिश चन्द्र महतो ग्राम—तिलाईपीड़ी, पो०-पाण्डाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति- कुरमी,पेशा-खेती के हाथों बिकी करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 08/12/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने

कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विकेता रूपन देवी पति—स्व० ब्रजमोहन महतो, ग्राम—सेरेंगडीह, पो०-चोकाहातु ,थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती को केता पंचमी देवी, पति—हरिश चन्द्र महतो ग्राम—तिलाईपीड़ी, पो०—पाण्डाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति– कुरमी,पेशा–खेती के हाथों बिकी करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (।) बी के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की विकी सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगें।

जमीन की विवरणी

मौजा	थाना / थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा	
कोंकाडीह	सोनाहातु / 04	161	34	26 डी०	
			35	19 डी० चौहद्दी— उ०–शिवराम महतो	
				द०-पचा महतो पू०-चन्द्र मोहन प-श्रीपदो महतो	महतो

लेखापित एवं सशोंधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता

बुण्डू,।

भूमि सुधार उप समाहत्ती

9. केता एवं विकेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य है एवं दोनों जिला-राँची के

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत विकेता रूपन देवी पति-स्व० ब्रजमोहन महतो, ग्राम-सेरेंगडीह, पो०-चोकाहातु ,थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा—खेती को केता पंचमी देवी, पति—हरिश चन्द्र महतो ग्राम—तिलाईपीड़ी, पो०—पाण्डाडीह, थाना—सोनाहातु, जिला—राँची (झारखण्ड) जाति— कुरमी,पेशा—खेती के हाथों बिकी करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 08/12/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने

कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विकेता रूपन देवी पति—स्व० ब्रजमोहन महतो, ग्राम—सेरेंगडीह, पो०-चोकाहातु ,थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती को केता पंचमी देवी, पति—हरिश चन्द्र महतो ग्राम—तिलाईपीड़ी, पो०—पाण्डाडीह, थाना—सोनाहातु, जिला—राँची (झारखण्ड) जाति— कुरमी,पेशा—खेती के हाथों बिकी करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (।) बी के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू / जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की विकी सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगें।

जमीन की विवरणी

मीजा	थाना / थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा	
कोंकाडीह	सोनाहातु / 04	161	34	26 डी०	
			35	19 डी० चौहद्दी— उ०—शिवराम महतो द०—पचा महतो	
				पू०-चन्द्र मोहन प-श्रीपदो महतो	महतो

लेखापित एवं सशोंधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता

बुण्डू,।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता